पत्र संख्या 263 /परि0,
File no–01–03 (21-22), E.Off.-121910/21

बिहार पुलिस मुख्यालय
(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक :– 21.02.22

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **पुलिस परिवहन मुख्यालय,बिहार, पटना की रद्दघोषित कुल– 33 (तैतीस) अदद पुलिस वाहनों की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिक्री की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के सम्बन्ध में ।**

------0------

निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित कुल– 33 (तैतीस) अद्द पुलिस वाहनों की सार्वजनिक निलामी की तिथि दिनांक– 15.03.2022 को 05.00 बजे निर्धारित की गई है । तद्नुसार सार्वजनिक निलामी से संबंधित विज्ञापन सूचनां C D सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुरोध है कि संलग्न सार्वजनिक निलामी की सूचना का प्रकाशन सरकारी नियमानुसार दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

21/2

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि :– ~~आई0टी0~~ मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ । संलग्न निविदा को बेवसाईट पर अपलोड किया जाये एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को इस प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय । विज्ञापन सूचना सी0डी0 सहित संलग्न हैं ।
अनुलग्नकः– यथोपरि ।

21/2

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0),
बिहार, पटना

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

सार्वजनिक निलामी सूचना 01/2022

राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित कुल–33 (तैतीस) अद्द सरकारी वाहनों (जिप्सी–06 अद्द, डीजल जीप–10 अद्द, स्पेशियो–01 अद्द, पेट्रोल जीप–02 अद्द, मिनी बस–03 अद्द, टाटा 407– 03 अद्द, कावासाकी मोटरसाईकिल –02 अद्द एवं बुलेट मोटरसाईकिल–06 अद्द) की सार्वजनिक निलामी दिनांक 14.03.2022 के समय–04:00 बजे ~~पूर्वाह्न~~ अपराह्न में पुलिस परिवहन मुख्यालय, नवीन पुलिस केन्द्र, लोदीपुर, पटना में डाक द्वारा निम्न शर्त्तो के अधीन की जायेगी ।

निलामी की प्रकिया में निम्न शर्त्ते हैं :–

1– उपरोक्त वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी । इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उपर्युक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।

2– निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा ।

3– निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व, भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सिक्यूरिटी के रूप में प्रति वाहन रूपये–5,000/– (पॉच हजार रूपये) मात्र की दर से बैंक ड्राफट अग्रिम के रूप में **A.I.G (W) Bihar, Patna** के नाम से जमा करना होगा ।

4– सभी वाहनों के अधिकतम डाक की राशि पर 18 (अठ्ठारह) प्रतिशत **G.S.T** की राशि का भुगतान सफल बोलीकर्त्ता को अलग से करना आवश्यक होगा ।

5– पुलिस विभाग का कोई कर्मी का उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा । निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले वीडरों का जमा ड्राफ्ट तुंरन्त वापस कर दिया जायेगा । उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी के पश्चात् उसी समय गाड़ी के मूल्य की आधी राशि जमा करने होंगे । शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए उनकी निलामी रद्द कर दी जायगी ।

अघोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं । अघोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित हैं ।

21/2

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0),
बिहार, पटना ।